



2026:RJ-JP:18872

-1-

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

S.B.Civil First Appeal No.315/2020

संतोष देवी शर्मा

बनाम

लोकेश कुमार शर्मा एवं अन्य

आदेश दिनांक

21 जुलाई, 2020

माननीय न्यायाधिपति श्री अभय चतुर्वेदी

श्रीमती सोनिया शाण्डिल्य अधिवक्ता— अपीलार्थी की ओर से

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

इस अपील के नोटिस प्रत्यर्थीगण के नाम दिनांक 14.08.2020 की वापसी के लिए जारी किया जावे।

अपीलार्थी इस सम्बन्ध में आवश्यक नोटिस—तलवाना आदि एक सप्ताह में पेश करे।

सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे।

स्थगन पर भी सुना गया।

स्थगन प्रार्थना पत्र के भी नोटिस जारी किये जावे।

प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों को देखते हुए आगामी तारीख तक प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले में विवादित सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से रहन, बक्शीश, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरित/हस्तान्तरित नहीं करेंगे।

पत्रावली दिनांक 14.08.2020 को पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

सत्यमेव जयते (न्या० अभय चतुर्वेदी)

अनिलशर्मा/M-57